पत्रांक–9A/मार्गदर्शन (विविध) –07–13/2024–156.....(9A)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल ✓

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–15/01/2026

विषय :– **ऑनलाइन भूमि दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन में अनियमितता एवं अनावश्यक विलम्ब के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन माध्यम से दाखिल–खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। रैयतों/भू–धारियों के लिए दाखिल–खारिज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और विभाग इसे प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उल्लेखनीय है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई निरूपित है। साथ ही, बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–6 में ऑनलाइन प्राप्त दाखिल–खारिज आवेदन/याचिकाएं के निष्पादन की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

विभिन्न जिलों में आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, 2025 के दौरान एवं कतिपय अन्य श्रोतों से भी यह संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन दाखिल–खारिज के निष्पादन में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। वादों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के कारण अंचल कार्यालय की कार्य पद्धति पर प्रश्नचिन्ह उठते है। चुंकि दाखिल–खारिज एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में इसका निष्पादन विभागीय अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधान के आधार पर किया जाना आवश्यक है। दाखिल–खारिज के निष्पादन के क्रम में विशेष रूप से निम्न विसंगतियां/अनियमितता पायी गयी है :–

1. **स्वतः आपत्ति (Suo Motu Objection)** – ऑनलाइन दाखिल–खारिज के निष्पादन में प्रायः यह देखा गया है कि "आम–खास सूचना" निर्गत होने के बाद 14 दिनों की नोटिस अवधि में यदि कोई बाह्य आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अंचल अधिकारी द्वारा स्वयं ही आधारहीन आपत्ति प्रतिवेदित कर वाद को सुनवाई में डाल दी जाती है। कुछ मामलों में यह पाया गया है कि अंचल स्तर पर कुछ असमाजिक तत्वों द्वारा बिना आधार या उस वाद में बिना लगाव के भी किसी वाद में आपत्ति दर्ज कर दी जाती है।

2. **अनावश्यक विलम्ब** – विभागीय अधिनियम/नियमावली के आलोक में आपत्तिरहित मामलों का निष्पादन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर किया जाना चाहिए, किन्तु जान–बुझ कर उन वादों को भी लम्बे समय तक लम्बित रखा जाता है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त ऑनलाइन दाखिल–खारिज वादों के निष्पादन के संबंध में निम्नलिखित निदेश संसूचित किये जाते है :–

(क) समय–सीमा का अनुपालन – दाखिल–खारिज वादों को निष्पादित करने के क्रम में यदि 14 दिनों की नोटिस अवधि में कोई वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अंचल अधिकारी द्वारा नियमानुसार तत्काल आदेश पारित कर दाखिल–खारिज की प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।

(ख) पारदर्शिता – सरकारी खाता/खेसरा से संबंधित भूमि के दाखिल–खारिज के मामले में अंचल अधिकारी संतुष्ट होने के उपरान्त स्वतः आपत्ति दर्ज करेंगे। अन्य के मामले में बिना किसी ठोस आधार के "स्वतः आपत्ति" दर्ज करना एक कदाचार माना जायेगा। यदि कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो उसका तार्किक आधार स्पष्ट होना चाहिए। अगर किसी असमाज़िक तत्व द्वारा बिना किसी ठोस आधार अथवा उस वाद में बिना लगाव के आपत्ति दर्ज की जाती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाय।

(ग) जवाबदेही – भविष्य में सभी अंचल अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके अंचल में ऐसी गतिविधियां न हो। विभागीय समीक्षात्मक बैठकों में यदि किसी अंचल में अकारण लम्बित वादों की संख्या अधिक पाई जाती है तो ऐसे अंचल अधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सभी अंचल अधिकारियों को अपने स्तर से निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन

15/1/26

(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/मार्गदर्शन (विविध) –07–13/2024–156(9A)/रा0 दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं सभी अंचल अधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/1/26

(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/मार्गदर्शन (विविध) –07–13/2024–156(9A)/रा0 दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/1/26

(जय सिंह),
सचिव।

ज्ञापांकः–9A/मार्गदर्शन (विविध) –07–13/2024–156(9A)/रा0 दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/1/26

(जय सिंह),
सचिव।